

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 18, 2016/पौष 28, 1937

No. 134]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 18, 2016/PAUSA 28, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2016

का.आ. 150 (अ). – विकास परिषद (प्रक्रियात्मक) नियमावली 1952 के नियम 3 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित व्यक्ति को लुगदी, कागज और संबद्ध उद्योग विकास परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है जो नियुक्ति परिषद के कार्यकाल के साथ समाप्त होगी तथा इस प्रयोजन के लिए दिनांक 10 नवंबर, 2014 के का.आ. सं. 2877 (अ) द्वारा प्रकाशित वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है। उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 19 के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाए, नामतः :—

“19क. श्री रामप्रवीन स्वामीनाथन,

-सदस्य

अध्यक्ष, इंटरनेशनल पेपर (इंडिया) प्रा. लि.,

अपार्टमेंट नं. 9, 9वां तल,

ली मेरीडियन कॉमर्सियल टावर,

रायसीना रोड, नई दिल्ली-110001

[फा. सं. 8(1)/2015-पेपर]

शैलेंद्र सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Industrial Policy and Promotion)****O R D E R**

New Delhi, the 4th January, 2016

S.O. 150(E).—In exercise of powers conferred by section 6 of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rules 3 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints the following person to be the member of the Development Council for Pulp, Paper and Allied Industries from the date of the publication of this notification in the Official Gazette which shall be co-terminus with the tenure of the Council and for the purpose makes the following amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion published vide S.O. No. 2877 (E) dated 10th November 2014. In the said notification, after serial number 19, the following shall be inserted, namely:-

- “19A. Shri Rampraveen Swaminathan, -Member”
President, International Paper (India) Pvt. Ltd.,
Apt. No. 9, 9th Floor,
Le Meridien Commercial Tower,
Raisina Road, New Delhi – 110 001

[F. No. 8(1)/2015-Paper]

SHAILENDRA SINGH, Jt. Secy.